COURT FEE कोर्ट फी Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE कोर्ट फी Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(56)

III/निगरानी/अशोकनगर/भू-रा/2017/2252

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2017/निगरानी

1. घनश्याम सिंह,
2. राजवीर सिंह
3. रामनिवास पुत्रगण श्री चिन्टूलाल
4. सुमनबाई पुत्री श्री चिन्टूलाल

समस्त निवासीगण ग्राम सिलपटी, तहसील ईसागढ, जिला अशोकनगर (म.प्र.) —— आवेदकगण

विरूद्ध

1. मुन्नीबाई वैवा पत्नी श्री कल्याणसिंह,
2. बृजपाल,
3. देवेन्द्र,
4. रामपाल,
5. पुखराज पुत्रगण स्व0श्री कल्याणसिंह

समस्त निवासीगण ग्राम सिलपटी, तहसील ईसागढ, जिला – अशोकनगर (म.प्र.) —— अनावेदकगण

श्री ... द्वारा आज दि. 17.7.17 को

17.7.17

S.L. Dhakad Adv 17/7/17

न्यायालय/कार्यालय राजस्व निरीक्षक, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर द्वारा प्रकरण क्रमांक 25/अ–12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 21.06.2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

माननीय न्यायालय,

आवेदकगण की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, अनावेदकगण द्वारा अपने भूमिस्वामी स्वत्व के सर्वे क्र.259/7, रकवा 0.627 है0, 259/10, रकवा 0.627 है0 एवं 259/14, रकवा 0.627 है0 का सीमांकन कराये जाने हेतु एक आवेदन पत्र न्यायालय तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत किया गया था।

11-12-18

प्र.क्र. तीन–निगरानी / अशोकनगर / भू.रा. / 2017 / 2252

प्रकरण आदेश हेतु प्रस्तुत हुआ। अवलोकन किया गया। यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, तहसील ईसागढ जिला अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 25 अ–12 / 2016–17 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 21–6–17 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) की धारा 50 में दी गई व्यवस्था के अनुरूप राजस्व मण्डल में निगरानी सुनवाई–योग्य नही रही है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 129 में हुये सॅशोधन अनुसार राजस्व निरीक्षक के सीमांकन आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी को व्यथित व्यक्ति के आवेदन पर सुनवाई के अधिकार दिये गये हैं। तद्नुसार आवेदक सक्षम न्यायालय में इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि लेकर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र है। भू राजस्व संहिता, 1959 (नवीन संशोधित संहिता प्रभावी दिनांक 25–9–18) के अनुसार निगरानी सुनवाई योग्य न रहने से समाप्त की जाती है।

सदस्य